SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

जैन दर्शन एवं मानवाधिकार शिक्षा

राकेश कुमार, शिक्षा विभाग
आर.के.व्ही. कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन, बगोदार, गिरीडीह, झारखण्ड, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Author
राकेश कुमार

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 29/05/2023
Revised on : -----
Accepted on : 06/06/2023
Plagiarism : 01% on 29/05/2023

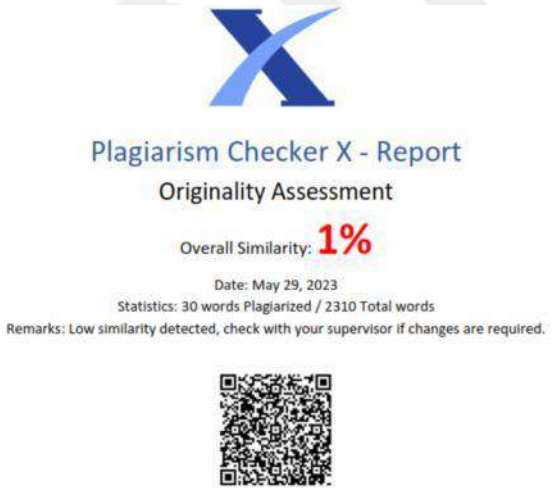

शोध सार

संसार में समस्त जीवों में मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसमें विवेक, बुद्धि आधार पर अपने विचारों एवं भावों को स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त करने की क्षमता है। विचारशील प्राणी होने के कारण मनुष्य का मन जिज्ञासाओं से परिपूर्ण है एवं उसका मस्तिष्क प्रश्नों के भण्डारों से भरा पड़ा है। इन विचारों के एवं जिज्ञासाओं के सहारे ही मनुष्य अपने आपको विकसित एवं व्यवस्थित करता है। मानव जीवन का प्रकृति एवं समाज दोनों से ही घनिष्ठ सम्बन्ध है। इन दोनों के अभाव में मनुष्य का अस्तित्व सम्भव नहीं है। मनुष्य का अपने जीवन के प्रत्येक पक्ष से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान हेतु चिन्तन आवश्यक है। यह तार्किक चिन्तन नये नियमों एवं सिद्धान्तों की खोज में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते है। उपरोक्त दर्शन की श्रेणी में आते है अर्थात् मानव जीवन का प्रत्येकपक्ष दर्शन से प्रभावित होता है।

मुख्य शब्द

दर्शन, मानव अधिकार, जीव.

समाज एवं राष्ट्र की उन्नति के लिए शिक्षा अति आवश्यक है और हमारी समस्त शिक्षा प्रक्रिया दर्शन द्वारा प्रभावित होती है। दर्शन मानव विकास हेतु मूल्यों एवं सिद्धांतों का निर्धारण करता है और मनुष्य शिक्षा के माध्यम से इन्हें आत्मसात करता है।

प्रकृति के माध्यम से मनुष्य को जीवन और जीवन से संबंधित अनेक अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक मनुष्य अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का आभास कर स्वयं अपना, मानव जाति का तथा देश एवं राष्ट्र का विकास करता है। मनुष्य को संवैधानिक एवं प्राकृतिक रूप से अनेक अधिकार प्राप्त है जो अधिकार प्रकृति द्वारा प्राप्त है, वही मानवाधिकार की श्रेणी में आते है। मानवाधिकार का संबंध मानव के

जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है एवं जीवन पर्यंत चलता रहता है।

मानव अधिकार की धारणा अति प्राचीन है। हमारे मनीषियों ने कई हजारों वर्षों पूर्व ही ''वसुधैवकुटुंबकम्'' (समस्त मानवजाति एक परिवार) का संदेश दिया था। विश्व के देशों में रहने वाले लोगों में भाषा तथा संस्कृति की दृष्टि से भिन्नता होते हुए भी एक समानता है–वह है सब का एक ही जाति यानी मानवजाति का होना और इस नाते पूरे विश्व में रहने वाले लोग एक ही परिवार के सदस्य है।

मानव अधिकार वे अधिकार है जो किसी व्यवस्थापिका द्वारा छीना नहीं जा सकता। ये अधिकार मनुष्य को प्राकृतिक रूप में समान रूप से प्राप्त हुए है। इसका संबंध स्त्री, जाति, धर्म, स्थान आदि सभी में समान रूप से है। साथ ही इन पर रीति–रिवाजों, कानून राज्य या किसी अन्य संस्था का प्रभाव नहीं पड़ता।

विश्व का प्रत्येक धर्म मानव जाति को सिर्फ उनकी शिक्षा देता है। वह है सत्कर्मो का अनुसरण करते हुए मनुष्य लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर अपने मानव धर्म के कर्तव्यों को पूर्ण करता है। साथ ही अन्य लोगों को भी इनके प्रति जागरूक करके उनके तथा अधिकार से अवगत कराता है। प्राचीन शिक्षा प्रणाली से लेकर वर्तमान शिक्षा व्यवस्था तक शिक्षा प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है। किसी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य किसी भी कारण से मनुष्य को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। प्राकृतिक एवं संवैधानिक रूप से मनुष्य को जो अधिकार प्राप्त है, इसकी जानकारी भी शिक्षा द्वारा ही संभव है।

संबंधित साहित्य का समीक्षा

देबलिना गुहा (2019): इस शोध के अनुसार स्थायी मानव विकास के लिए समकालीन चुनौतियों को संबोधित करने और मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर छात्रों के दृष्टिकोण की जांच करके मानव अधिकारों के संरक्षण में सिद्धांत और व्यवहार के बीच लगातार अंतर को पाटने के लिए मानवाधिकार शिक्षा आवश्यक है।

प्रदीप कुमार (2015): इन्होंने अपने अध्ययन के निष्कर्ष में यह प्राप्त किया कि वर्तमान में मानव अधिकार जीवन का एक तरीका और एक सामाजिक अनुबंध बनता जा रहा है। शिष्य की आकांक्षओं को पूरा करने के लिए अवसरों का विस्तार करना महत्वपूर्ण है। पूर्व सेवा के माध्यम से सभी शिक्षक समुदाय के लिए मानव अधिकार शिक्षा और सेवा कार्यक्रम आवश्यक है।

बाब लीफोर्ड (2007): अपने लेख में इस संबंध में उन्होंने धार्मिक अधिकारों को मान्यता प्रदान करने तथा धार्मिक विश्वासों के कारण व्यक्ति विशेष के मानवाधिकार की अवहेलना करने वाले देशों या उन संस्थाओं की आलोचना करते हुए यह स्पष्ट किया है कि विगत कुछ वर्षों में धार्मिक अधिकारों के संरक्षण के प्रति मानवाधिकार द्वारा समुचित प्रयास किया जा रहा है।

अमरेंद्र कुमार मिश्र (2007): ''मानवाधिकार मानव मूल्यों का रक्षक'' नामक लेख में बताया है कि मानवाधिकारों के संरक्षण व उसके प्रति आदर व चिन्तन आज के समय की मांग है। मानवाधिकारों के प्रति किसी भी व्यक्ति की उदासीनता का प्रमुख कारण है–शिक्षा का अभाव।

वी.एस.मैथ्यू (2006): ''परंपरा, संस्कृति और मानवाधिकार वैज्ञानिक दृष्टिकोण'' पर एक लेख लिखा। उनका कहना है कि प्राचीन काल के स्वरूप रीति–रिवाजों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए अपनाना है, जिससे हम अपनी सभ्यता और संस्कृति की भी रक्षा कर सकें और मानवीय तथा वैज्ञानिक सोच भी विकसित कर सकें।

जैन दर्शन

जैन परंपरा के अनुसार जैन दर्शन अनादि से है जो समय–समय पर उत्पन्न होने वाले तीर्थकरों द्वारा परिवर्तित होता रहा है। इस काल चक्र में जैन दर्शन का प्रवर्तन प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने किया था। वे बहुत प्राचीन है। ऋग्वेद में अनेक रचनाओं में ऋषभदेव को सम्मानपूर्वक स्मरण किया गया है।

जैन धर्म अर्थात् प्राणी धर्म मानवाधिकार का ही पर्याय है। जैन दर्शन का प्रत्येक सिद्धांत, प्रत्येक वाक्य प्राणी–हित की बात करता है। जैन दर्शन आचरण की पवित्रता तथा श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वाह की शिक्षा भी देता है।

मध्यकालीन मानव कर्तव्यों की छाया में जीता था लेकिन आज का मानव मुख्य रूप से मानव अधिकारों की छाया में जीता है।

मानव कर्तव्य को तो विस्मृत कर रहा है और अधिकारों की रट लगाए हुए है। अगर प्रत्येक मनुष्य अपने कर्तव्य का निर्वाह उचित प्रकार से करता है तो अन्य व्यक्ति को अधिकार स्वतः ही मिल जाएंगे। यदि प्रत्येक व्यक्ति अहिंसादि पंचव्रतों का पालन करे तो अन्य जन्म को कदापि कष्ट नहीं होगा और इस रूप में उसे जीने का अधिकार स्वतः ही मिल जाएगा।

जैन दर्शन अहिंसादि पाँच व्रतों के पालन से शोषण के विरुद्ध भी आवाज उठाए हुए है। जैन दर्शन की मान्यतानुसार अहिंसा का मूलाधार आत्म सत्य है। प्रत्येक आत्मा चाहे वह सूक्ष्म हो या स्थूल, स्थावर हो या त्रस, तात्विक दृष्टि से समान है। अगर प्रत्येक मनुष्य दूसरे को स्वयं के समान ही समझेगा तथा यह मानेगा कि जिस प्रकार वह अपने जीवन की रक्षा और विकास चाहता है उसी प्रकार अन्य प्राणी भी चाहते हैं, तो इस दार्शनिक तत्व को समझने के बाद व अन्य का शोषण नहीं करेगा तथा इस प्रकार मानव अधिकारों का संरक्षण व संवर्धन करेगा। अहिंसा व्रत का पालन कर बाल शोषण समाप्त किया जा सकता है। अपने आश्रितों को पीड़ा पहुंचाना तथा क्षमता से अधिक कार्य लेना अहिंसाव्रत का पीड़न नामक अतिचार है। अगर इस अतिचार का त्याग कर दिया जाए तो बेगार प्रथा तथा बाल शोषण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अतः प्रतीत होता है कि जैनाचार्यो ने भविष्य की कल्पना पहले ही अपने ग्रंथों में कर ली थी, जिससे कालांतर में संविधान ने अपनी मोहर से संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी।

श्री.जे.एल जैनी के अनुसारः– ''जैन दर्शन का मूलमंत्र है ज्ञान के लिए जीवन नहीं, बल्कि जीवन के लिए ज्ञान''।

डॉ. राधा कृष्णन के अनुसारः– ''जैनमत उन सब सिद्धांतों के विरोध में है, जो नैतिक उत्तरदायित्व पर बल नहीं देते हैं''

प्रो. हरियत्ना के अनुसारः– ''सच्ची बात यह है कि जैन दर्शन का लक्ष्य आत्मा को पूर्ण बनाना है, ना कि विश्व की व्याख्या करना।''

मानवाधिकार शिक्षा

वस्तुतः मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक मानव को मानव होने के नाते सामाजिक वातावरण में रहते हुए जीवन में विकास एवं उत्कर्ष के लिए प्राप्त होते हैं। मानवाधिकारों का उपयोग कर मानव अपनी शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक तथा अन्य उपयोगी आवश्यकताओं की निर्बाध रूप से पूर्ति कर व्यक्तित्व का समग्र विकास करने में समर्थ हो पाता है। संक्षेप में, मानवोन्नयन एवं उत्कर्ष के लिए जो सुविधाएं और नियम ईश्वर समाज व राज्य की ओर से प्राप्त है, उन्हें अधिकार कहते हैं।

सृष्टि प्रक्रिया के साथ–साथ विभिन्न विचारकों ने मानव के कर्म स्वभाव और अधिकार की विवेचना की है, वेद अपौरुषेय होने के कारण, संप्रदाय, पंथ और मत–मतान्तरों से रहित है। उसमें मानवता के विधायक तत्वों के विश्लेषण का वैज्ञानिक विवेचन है। मानव–मन संकल्प वाला है, संकल्प कार्य करने की समर्थ का नाम अधिकार है, ये अधिकार ईश्वर प्रदत्त है तथा सृष्टि के आदि काल से ही प्रत्येक मानव को प्राप्त है। यदि सृष्टि का कोई प्रयोजन नहीं होता तो सृष्टि सृजन निरर्थक होता। सृष्टि विवेचन से विदित होता है कि इसका सृजन प्राणिमात्र के सुखार्थ के लिए है। वेद सृष्टि का संविधान है, तथा यह कैसे हो सकता है कि सृष्टि के सर्वोत्तम प्राणी मानव के अधिकारों का उसमें वर्णन न किया गया हो।

मानव ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति होने के कारण विचारको, दार्शनिकों का केंद्र बिंदु रहा है। समय–समय पर उत्पन्न हुए विभिन्न मनीषियों ने वैदिक शिक्षा से जीवन दृष्टि प्राप्त की और संसार को जीवन दर्शन की सर्वोत्तम शिक्षा का संदेश दिया। इन्हीं मनीषियों की सूची के अंतर्गत, बौद्ध दर्शन को प्रवर्तक महात्मा बुद्ध तथा जैन दर्शन के प्रवर्तक ऋषभदेव भी आते हैं। इस प्रकार वेद मानवीय मूल्यों का आदि प्रेरक है, विश्व के मानवमात्र की संस्कृति है, उसमें

मानवाधिकार की संकल्पना है।

मानव अधिकारों से अभिप्राय ''मौलिक अधिकार एवं स्वतंत्रता से है जिसके सभी मानव प्राणी हकदार है। अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं के उदाहरण के रूप में जिनकी गणना की जाती है, उनमें नागरिक और राजनीतिक अधिकार सम्मिलित है, जैसे कि जीवन और आजाद रहने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के सामने समानता एवं आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के साथ ही साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार, भोजन का अधिकार, काम करने का अधिकार एवं शिक्षा का अधिकार।

जे.ई.एस. फॉसेट के अनुसार, ''मानव अधिकार कभी–कभी मौलिक अधिकार या मूल अधिकार या प्राकृतिक अधिकारों के नाम से पुकारे जाते हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जिनको किसी व्यवस्थापिका द्वारा छीना नहीं जा सकता है। प्राकृतिक अधिकार मनुष्य तथा नारी दोनों से संबंधित है साथ ही वे उनके स्वभाव के अनुकूल होते हैं।

हैरी धांड़ के अनुसार, ''मानवाधिकार वे मांगे हैं जो हमें अपनी पूर्ण क्षमता के अनुरूप विकास करने तथा अपनी मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने योग्य बनाती है। ये वे आदर्श हैं जो अच्छे मानव अस्तित्व के लिए मानवता के सम्मान, आदर, न्याय, सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए बढ़ती हुई मांग पर आधारित हैं। सभी मानवाधिकारों का आवश्यक तत्व यह है कि उनका संबंध प्रत्येक व्यक्ति के साथ है और वह मानव परिवार के सभी सदस्यों के जन्मसिद्ध अधिकार हैं, जिनका हनन नहीं किया जा सकता है।''

जैन दर्शन एवं मानवाधिकार शिक्षा

भारतीय दर्शन में अनेकों ऐसे हितकारी सुझाव हैं जिनके प्रयोग से मानव जीवन की चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है। जब–जब मानव समाज में कभी भी अस्थिरता की स्थिति आई है तब–तब हमारे समाज के महापुरुषों ने समाज में मनुष्य को मानवाधिकारों एवं कर्तव्यों से अवगत कराया है। आज मानव समाज की सबसे बड़ी समस्या मानवीय मूल्यों की स्वार्थ का परिता, भेदभाव, संप्रदायिक, विचारधारा आदि है।

क्या है अनेकांत का सिद्धांत

अनेकांत शब्द अनेक अंत से मिलकर बना द्वैध अनेक का अर्थ होता है– एक से अधिक और अंत का अर्थ होता है धर्म (स्वभाव)। अर्थात, अनेकांत सिद्धांत सह–अस्तित्व, समन्वय, समानता एवं स्वतंत्रता पर बल देता है। (रिजु प्रज्ञा 2015 133–114)। अनेकांत का सिद्धांत अनेकता में एकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह दर्शन विभिन्न विरोधाभाषी मतों के सह–अस्तित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। द्वैध विरोधाभासी में आपस में समन्जस्य बैठाकर यह सिद्धांत संघर्ष की स्थिति को उत्पन्न होने से रोकता है। जैन दर्शन के अनुसार सत्य अनेक विमितीय होता है। अनेकांतवाद का सिद्धांत मानता है कि संपूर्ण सत्य होता है, किंतु इसे न तो पूर्णतयः देखा जा सकता है और ना ही पूर्णतयः अभिव्यक्त किया जा सकता है। हमारी अवधारणा, विचार और अभिव्यंजना, समय और स्थान द्वारा प्रभावित होती है अतः हम एक समय और स्थान पर सिर्फ सत्य का एक ही रूप देख पाते हैं। किसी भी वस्तु या स्थिति की समझ उससे संबंधित ज्ञान के माध्यम पर निर्भर करती है, जैसे यदि हम किसी भी विचार से संबंधित सकारात्मक साहित्य पढ़ते हैं तो हमें उस विचार में सकारात्मकता दिखाई देती है जबकि यदि हम उस विचार के नकारात्मक साहित्य को पढ़ेंगे तो हमें उस विचार में नकारात्मक ही दिखेंगी।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में मानवाधिकारों की रक्षा करना, और मानव परिवेश को सुरक्षित रखना कठिन होता जा रहा है। यदि इस पर ध्यान पूर्वक विचार किया जाए तो स्पष्ट होता है कि हमारी सोच–अभी भी अविकसित एवं संकुचित है हम सभी गलत दिशा में भटक रहे हैं। हमारे लिए उपयुक्त मार्ग क्या हो सकता है जिन पर चलकर हम इन चुनौतियों का सामना कर सकें। यदि हम अपनी पारंपरिक विचारधाराओं की धरोहरों पर नजर डालें तो जैन दर्शन का विचार समाधान के रूप में हमारे सामने उपस्थित कहा जा सकता है। इस प्रकाश पुंज के माध्यम से मानव जीवन के अहंकार को समाप्त कर प्रकाश से परिपूर्ण किया जा सकता है।

निष्कर्ष

अतः निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि मानवाधिकार शिक्षा में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को जैन दर्शन के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। जैन धर्म के पांच व्रतों के माध्यम से आत्मा साधना द्वारा धर्मा का अनुसरण कर प्रकृति के साथ संतुलन स्थापित कर मानव के अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन किया जा सकता है।

संदर्भ सूची

1. अग्रवाल उमेश चंद्र, (2003), ''मानवाधिकार संरक्षणः अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास और संभावनाएं'', चाणक्य सिविल सर्विसेज, पृ. 25–28।
2. ठाकरे रश्मि, (2007), ''ह्यूमन राइट्स एजुकेशन इन सेकेंडरी स्कूल'', एशियन इंस्टिट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स एजुकेशन, इंटरनेशनल हाउस, भोपाल पृ. 26–28।
3. प्रसाद सूर्य नाथ, (2007), ''ह्यूमन राइट्स एंड ग्लोबल पीस'' एशियन इंस्टिट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स एजुकेशन, इंटरनेशनल हाउस भोपाल, पृ.47–48।
4. सारस्वत ऋतु, (2007) ''एड्स की रोकथाम में मानवाधिकार एक सफल प्रयास'' *कुरुक्षेत्र,* प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सी.जी.ओ. कांपलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली पृ. 4–7।
5. पाण्डेय राम शकल, (1986) *''शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि''* विनोद पुस्तक मंदिर प्रकाशन, आगरा पृ. 2।
6. पाण्डेय राम शकल, (2002), *''विश्व के श्रेष्ठ शिक्षा शास्त्री''* विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा पृ. 2।
7. कौल लोकश, (2010) शैक्षिक अनुसंधान की कार्य प्रणाली विकास पब्लिकेशन हाउस प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली।

****